

— 03 —

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 21/2023

नौशद अख्तर बनाम् मजहर आलम वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
तिप्पणी तारीख

21.04.2023

यह वाद आवेदक

यह वाद अपीलार्थी नौशद अख्तर, पिता-स्व० अब्दुल रहमान, ग्राम-चितरपुर, पो०-चितरपुर, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) वर्तमान निवास ग्राम-जान्हें, पो०-बड़की पोना, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) के द्वारा आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के विविध अपील संख्या-12/2022 में दिनांक-20.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या-03/2022 मजहर आलम बनाम् मोईउद्दीन एवं अन्य में दिनांक-12.01.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1951 के नियम 8 उप नियम (ii) के तहत अपील दायर किया गया है। प्रविष्टि की बिन्दु पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा Withdrawal Petition दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि विपक्षी महजर आलम के साथ उपरोक्त वाद से संबंधित उत्पन्न विवाद का समझौता हो गया है। तथा इस बावत एक सुलहनामा निष्पादित किया गया है, उन्होंने उपरोक्त अपील वाद को वापस लेने की अनुमति वी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी के द्वारा दायर Withdrawal Petition के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवी सिध्दा
21.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवी सिध्दा
21.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।